न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 56 / 2023

तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह पुत्र माला सिंह निवासी 9 वाई द्वितीय पोस्ट ऑफिस मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह	– – प्रार्थी स्वयं
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–26.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम मुश्तर्का खाता में चक 5 एफ बडा पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. दौलतपुरा खाता संख्या 2/114 में 3.1480 हैक्टर कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबंदी में प्रार्थी के दो नाम है। जिस कारण प्रार्थी को कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, परिवार पहचान पत्र में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, पेन कार्ड में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, परिवार राशन कार्ड में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, मूल निवास प्रमाण पत्र में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह है। अतः आप मेरी कृषि भूमि की जमाबंदी में गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह पुत्र माला सिंह के स्थान पर तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह पुत्र माला सिंह करने के आदेश जारी करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 1191 दिनांक 08.03.2023 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार श्रीमान् जी द्वारा मुकदमा नम्बर 473/2021 दिनांक 15.11.2021 की अनुपालना में चक 5 एफ बडा के इन्तकाल संख्या 866 दिनांक 05.04.2022 द्वारा गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह पुत्र माला सिंह दर्ज किय जाकर दिनांक 05.04.2022 को उपतहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा स्वीकृत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

...या गया। प्रार्थी वर्तमान में राजस्व अभिलेख में गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह के स्थान पर ...जा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह करवाना चाहता है। पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक ...पोर्ट पटवारी चक 5 एफ बड़ा के खाता संख्या 2 में गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह के स्थान ...र तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन ...कया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी का नाम आधार ...कार्ड में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, परिवार पहचान पत्र में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, ...न कार्ड में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, परिवार राशन कार्ड में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज ...सिंह, अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र में तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, मूल निवास प्रमाण पत्र ...। तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह है का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम ...हसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार ...ोग्य पाया गया।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. दौलतपुरा खाता संख्या 2/114 में 3.1480 हैक्टर कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गुरतेज सिंह उर्फ तेजा सिंह पुत्र माला सिंह के स्थान पर तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह पुत्र माला सिंह किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)